

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र स	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	अजय कुमार वत्स राउमावि बिहारीसर पंस. थानागाजी जिला अलवर	प्रधानाध्यापक (सेवानिवृत्त)	03-06- 1962	19-oct-89	30 year 18-oct-19	19-oct-19	L-15

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 10.04.2023

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-2/अजय वत्स/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर। सत्यमेव जयते
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा कोउक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक, अलवर।
- 4 प्रधानाचार्य राउमावि बिहारीसर पंस. थानागाजी जिला अलवर।
- 5 अजय कुमार वत्स (द्वारा राउमावि बिहारीसर पंस. थानागाजी जिला अलवर)
- 6 निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर